

प्रेषक,

उदयवीर सिंह,
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
(पाक्सो एक्ट)द्वितीय, रायबरेली।

सेवा में,

माननीय जनपद न्यायाधीश,
रायबरेली।

महोदय,

विनम्रता पूर्वक निवेदन करना है कि S.T. सं०-258/14, मुकदमा अपराध सं०-308/14, अंतर्गत धारा -302/34, 341/34, 323/34, भा०द०सं० थाना डीह, राज्य बनाम अखिलेश कुमार यादव आदि में मेरे द्वारा उभय पक्ष की बहस सुनने के पश्चात दिनांक 09.03.2021 को गुणदोष के आधार पर विधि सम्मत निर्णय एवं आदेश अपनी बुद्धि विवेक से पूर्ण सदभाव से, एवं निष्पक्षता से उभय पक्ष के समस्त तर्कों पर विचारोपरांत तथा बचाव पक्ष द्वारा प्रस्तुत समस्त तर्कों को समाहित करते हुए पारित किया गया है।

शिकायतकर्ता का यह कथन कि "उनके द्वारा मौखिक किये गये तात्विक एवं मूल-भूत किसी भी तर्क को निर्णय में उल्लेखित नहीं किया गया है" नितांत गलत व निराधार है तथा बेवुनियाद है। बहस के दौरान जो भी मौखिक तर्क उनके द्वारा किये गये उन समस्त तर्कों को मेरे द्वारा बहस के दौरान Note किया गया था तथा उनके समस्त तर्क जिन्हें न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किये गये हैं को निर्णय में समाहित किया गया है और उन पर अपना तार्किक विश्लेषण तथा साक्ष्य का विवेचन किया गया है तथा बचाव पक्ष के किसी भी तर्क को निर्णय में निष्कर्ष निकालते समय छोड़ा नहीं गया है। जो तर्क शिकायती प्रार्थनापत्र में दिये गये हैं उनमें से ज्यादातर तर्क मेरे समक्ष उठाये ही नहीं गये और अपने शिकायती प्रार्थनापत्र को बल देने के लिए अतिरिक्त रूप में निर्णय पारित होने के पश्चात् लिखा गया है।

शिकायतकर्ता ने अपनी शिकायती प्रार्थनापत्र के साथ कोई शपथपत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है, जबकि माननीय उच्च न्यायालय का परिपत्र इस संबंध में है कि कोई शिकायती प्रार्थनापत्र शपथ पत्र से समर्थित किया जायेगा। शिकायतकर्ता का शिकायती प्रार्थनापत्र नितांत असत्य एवं निराधार है और शपथपत्र से समर्थित नहीं है। अतः पोषणीय नहीं है और प्रार्थी ऐसे प्रार्थनापत्र को निरस्त करने की याचना करता है।

निर्णय गुणदोष के आधार पर पारित किया गया है। यदि शिकायतकर्ता निर्णय से असंतुष्ट है या विक्षुब्ध है तो उसे मेरे द्वारा पारित निर्णय के विरुद्ध अपील करने का वैधानिक अधिकार प्राप्त है। गुणदोष पर निर्णय पारित करने के पश्चात् उस पर कोई टिप्पणी किया जाना न्यायालय की अवमानना की श्रेणी में आता है।

शिकायती प्रार्थनापत्र को समग्र रूप से पढ़ने पर शिकायती प्रार्थनापत्र मेमोरेंडम ऑफ अपील लग रहा है न कि शिकायती प्रार्थनापत्र, और शिकायतकर्ता निर्णय से असंतुष्ट और कुंठाग्रस्त होने के कारण और एवं न्यायालय की छबि धूमिल करने, अनावश्यक दवाब और मानसिक रूप से परेशान करने के लिए प्रस्तुत किया गया है।

अतः महोदय से विनम्र निवेदन है कि शिकायती प्रार्थनापत्र पोषणीय नहीं है एवं बलहीन है। अतः प्रार्थनापत्र निरस्त करने की कृपा करे।

आख्या महोदय की सेवा में प्रकलोनार्थ एवं आवरण
कार्यवाही हेतु सादर उक्ति है।

दिनांक 20.03.2021

(उदयवीर सिंह)
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश
(पाक्सो एक्ट) -द्वितीय, रायबरेली।